



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
गुरुवार, दिनांक 8 फरवरी, 2024 (माघ 19, शक संवत् 1945)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्धार व्यक्त किये गए :-

- (1) हरदा जिले के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होना,
- (2) लेह-लद्दाख में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद होना,
- (3) छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के टेकलगुडेम में नक्सली हमले में सीपीआरएफ के जवान एवं भिण्ड जिले के गांव कुपावली के निवासी सहित कई जवान शहीद होना,
- (4) गुना-आरोन यात्री बस के डम्पर से टकराने से अनेक यात्रियों की जलने से मृत्यु होना.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी शोकोद्धार व्यक्त किये गए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11:22 बजे पुनः समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 91 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 118 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. अध्यक्षीय घोषणा

गत सत्र में सदन में की गई अध्यक्षीय घोषणा के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर व्यपगत नहीं होना।

अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि :- "गत सत्र में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में, मेरे द्वारा विचार कर दिनांक 8 अगस्त, 2023 को जारी पत्रक अनुसार, अध्यक्ष के स्थाई आदेश के अध्याय- तीन "प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न" के अंतर्गत कण्डिका 13-क के पश्चात् संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नवीन कण्डिका 13-ख को विलोपित कर दिया गया है। इसमें यह प्रावधान था कि विधान सभा के किसी कार्यकाल के सत्रों में सदन की बैठकों हेतु प्राप्त प्रश्नों की वे सूचनाएं, जो स्वीकृत होकर विभागों को उत्तर हेतु भेजी जा चुकी हों, के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर सभा के विघटन के ठीक पूर्व तक प्राप्त नहीं होने पर, सभा के विघटन पर व्यपगत माने जाएंगे।

उक्तानुसार, विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के उत्तर व्यपगत नहीं होंगे। इसके संबंध में परीक्षण कर प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही की जावेगी तथा समिति द्वारा अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।"

4. शपथ

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-184, कसरावद के निर्वाचित सदस्य श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव का उस समय शपथ या प्रतिज्ञान नहीं हो पाया था इसलिए वे आएँ और नामावली में हस्ताक्षर करें तथा शपथ ग्रहण भी करें तदुपरांत श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव द्वारा नामावली में हस्ताक्षर किए गए तथा शपथ ग्रहण की गई।

5. स्थगन प्रस्ताव

हरदा शहर के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से उत्पन्न स्थिति।

अध्यक्ष महोदय द्वारा हरदा शहर के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की 9 सूचनाओं को देने वाले सदस्यों के नाम तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्य की अधिक तथ्यात्मक सूचना को पढ़ा गया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर तुरंत चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घटना की गंभीरता एवं शासन पक्ष द्वारा चर्चा की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए स्थगन प्रस्ताव पर सदन की सहमति से तत्काल सारगर्भित चर्चा प्रारंभ करने के लिए डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया गया जिससे कि तथ्य सामने आएँ एवं तदुपरान्त सरकार उसका संज्ञान ले. (दैनिक कार्यसूची में अंकित राज्यपाल महोदय के प्रस्तुत कृतज्ञता अभिभाषण की चर्चा स्थगन प्रस्ताव के पश्चात् लिए जाने का निर्णय लिया गया)।

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा यह अनुरोध किया गया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री महोदय को सदन में उपस्थित रहना चाहिए. सर्वश्री बाला बच्चन, सदस्य एवं उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी इसी आशय का सुझाव दिया गया। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि -" मंत्रिपरिषद् के काफी सदस्य यहां उपस्थित हैं." सर्वश्री तुलसी

राम सिलावट, जल संसाधन मंत्री, विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं घटना स्थल पर होकर आएँ हैं, वे इसे गंभीरता से ले रहे हैं और

अपने कक्ष में पूरी कार्यवाही सुन रहे हैं. जवाबदार सरकार एवं मंत्रीगण सदन में उपस्थित हैं इसीलिए विपक्ष द्वारा रखे गए स्थगन प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति प्रदान की है इसलिए गंभीरता से चर्चा प्रारंभ की जाए. पूरे मंत्रिमंडल द्वारा गंभीरता पूर्वक जवाब दिया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी.

अध्यक्षीय अनुमति से ग्राह्य स्थगन प्रस्ताव पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री रामनिवास रावत, सदस्य
2. डॉ रामकिशोर दोगने, सदस्य
3. राव उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री
4. श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य
5. श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य
6. श्री विश्वास सांरग, सहकारिता मंत्री
7. श्री आरिफ मसूद, सदस्य
8. श्री सुरेश राजे, सदस्य
9. श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने पर सदन के समय में वृद्धि की गई)

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री रामनिवास रावत सहित कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा हरदा क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने संबंधी घटना की न्यायिक जाँच की घोषणा एवं पीड़ित परिजनों को मुआवजा एवं नौकरी देने की माँग के समर्थन में एवं शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

(अपराहन 1.44 बजे से 3.34 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार दिनांक 7 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों, वित्तीय कार्यों एवं शासकीय संकल्प पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित किए जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 30 मिनट 1 सन् 2024)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक - सन् 30 मिनट 2024)	30 मिनट
3.	वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2016-17 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों का पुरः स्थापन, विचार एवं पारण.	30 मिनट
4.	वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे

- | | | |
|----|---|---------|
| 5. | वर्ष 2024-2025 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा. | 4 घण्टे |
| 6. | वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक (लेखानुदान) की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण. | |
| 7. | जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन किये जाने के संबंध में पर्यावरण विभाग का संकल्प. | 30 मिनट |

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों, वित्तीय कार्यों एवं शासकीय संकल्प पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2024 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नलिखित निर्धारित करने की सिफारिश :-

क्र.	अशासकीय संकल्प	प्रस्तावक माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	1 (क्रमांक-01)	श्री संतोष वरकडे	30 मिनट
2.	2 (क्रमांक-05)	श्री सुदेश राय	30 मिनट
3.	3 (क्रमांक-11)	श्री अभय मिश्रा	30 मिनट

इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पटल पर रखा गया .

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री(वित्त) द्वारा

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (पर्यावरण, लोक निर्माण, ऊर्जा और उद्योग विभाग) मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-2,

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में वृहद पुलों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक-3,

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खण्ड-प्रथम) मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-5,

(v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु क्षिप्रा नदी के क्षरण पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक-6,

(vi) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकाय पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-7 एवं

(vii) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2022-2023 (खण्ड-I एवं II) एवं विनियोग लेखे वर्ष 2022-2023,

(ख) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 तथा

(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 130-क की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 122-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020

पटल पर रखा गया.

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री द्वारा

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (i) क्रमांक 693/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023,
- (ii) क्रमांक 558-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 15 मार्च, 2023,
- (iii) क्रमांक 497-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 09 मार्च, 2023,
- (iv) क्रमांक 220/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 24 जनवरी, 2023,
- (v) क्रमांक 730/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 05 अप्रैल, 2023,
- (vi) क्रमांक 2740/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023,
- (vii) क्रमांक 1686-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023,
- (viii) क्रमांक 1685-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023,
- (ix) क्रमांक 2741/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023,
- (x) क्रमांक 2896/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 22 दिसम्बर, 2023, एवं
- (xi) क्रमांक 1684/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2022-2023 के अंकेक्षित लेखे तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखे गए.

10. राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2023)- (अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2023) को मान. राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयक का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा.

11.अध्यक्षीय घोषणा

ध्यानाकर्षण की सूचनाएं एवं सदस्यों के आवेदनों की प्रस्तुति आगामी कार्य दिवस में लिया जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि :- "आज की कार्यसूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण की सूचनाओं एवं सदस्यों के आवेदनों की प्रस्तुति आगामी कार्य दिवस में की जायेगी."

12. वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि , "इस द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा मतदान के लिए दिनांक 9 फरवरी, 2024 को घंटे का समय नियत करता हूं."

13.राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा.

दिनांक 7 फरवरी, 2024 को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर (1) श्री रामेश्वर शर्मा, प्रस्तावक सदस्य ने प्रारंभिक भाषण दिया:-

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में मेरे पास माननीय सदस्यों के संशोधनों की 1215 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से 1 संशोधन नियमानुसार नहीं था, उसे अग्राह्य किया गया है. संशोधन बहुत विस्तृत स्वरूप के हैं, इसलिए पूरे संशोधनों को न पढ़कर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूंगा. जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जाएंगे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे. :-

क्र.	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
1.	श्री सुरेश राजे	7
2.	डॉ. हिरालाल अलावा	8
3.	श्री विपिन जैन	9
4.	श्री प्रताप ग्रेवाल	10
5.	श्री राजन मण्डलोई	11
6.	श्री यादवेन्द्र सिंह	14
7.	श्री कमलेश्वर डोडियार	15
8.	श्री नारायण सिंह 'पट्टा'	16
9.	श्री चैन सिंह बरकडे	17
10.	श्री मोन्दू सोलंकी	19
11.	श्री बाला बच्चन	20
12.	श्री रामनिवास रावत	23
13.	श्री बाला बच्चन	24

सभापति महोदय (श्री अजय विश्‍नोई) पीठासीन हुए.

14.अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि सदन के समय में सायं 6 बजे तक वृद्धि की जाए.

15.राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमश:).

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(2)	श्री बाला बच्चन
(3)	डॉ. विक्रान्त भूरिया
(4)	श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(5)	डॉ. हिरालाल अलावा
(6)	श्री सोहनलाल बाल्मीक
(7)	श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(8)	डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

16.अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि माननीय सदस्य डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी का भाषण समाप्त होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

17.राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः) (चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 6.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2024
(20 माघ, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 8 फरवरी, 2024

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा